

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव।

सेवा में,

ई-मेल

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी समाहर्ता/
सभी बन्दोबस्त पदाधिकारी, बिहार।

पटना-15, दिनांक-30.09.2026

विषय:- दिनांक-15.09.2026 से 31.10.2026 तक मिशन मोड में संचालित "जमाबंदी अद्यतीकरण एवं नामांतरण उत्तराधिकार विशेष अभियान" के प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु दिशा-निदेश।

प्रसंग - (i) मुख्य सचिव, बिहार का पत्रांक-2587(9), दिनांक-15.09.2026।
(ii) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ज्ञापांक-1716(9), दिनांक-03.07.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य में डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में परिलक्षित त्रुटियों के सुधार, जमाबंदी पंजी में अनुपलब्ध विवरणों की पूर्ति तथा मृत जमाबंदी रैयतों के वैध उत्तराधिकारियों के नाम उत्तराधिकार नामांतरण हेतु दिनांक 15.09.2026 से 31.10.2026 तक विशेष अभियान मिशन मोड में संचालित करने का निदेश दिया गया है। अभियान का उद्देश्य **Suo motu** पहल करते हुए भू-अभिलेखों को शुद्ध एवं अद्यतन करना तथा रैयतों को भूमि संबंधी सेवाओं का सुगम लाभ उपलब्ध कराना है।

विगत दो शनिवारों को विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्र भ्रमण एवं निरीक्षण तथा विभागीय समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मिशन प्रारम्भ होने के दो सप्ताह बाद भी सभी अंचलों में प्रगति अत्यंत धीमी है। अभियान के क्रियान्वयन में एकरूपता, अपेक्षित गति एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है--

1. हल्का/मौजा का चयन एवं डेटा विश्लेषण :-

अंचलाधिकारी अपने अंचल में अभियान आयोजित करने के लिए क्रमवार हल्का/मौजा का चयन करेंगे। चयन से पहले उस हल्का/मौजा की जमाबंदी डेटा का विश्लेषण आवश्यक है।

विभाग द्वारा अंचलाधिकारी के लॉगिन में प्रत्येक मौजा का जमाबंदी विश्लेषण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रतिवेदन के आधार पर प्रतिदिन की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। यह प्रतिवेदन स्टेट लॉगिन तथा राजस्व महाअभियान लॉगिन के अंतर्गत "Jamabandi Rectification Drive report" मेनू में उपलब्ध है। प्रतिवेदन में निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

- जिला, अंचल, हल्का एवं मौजा का नाम
- कुल जमाबंदियों की संख्या
- सभी विवरण सही वाली जमाबंदियों की संख्या
- खाता रहित (Missing Khata) जमाबंदियों की संख्या

- खेसरा/प्लॉट रहित (Missing Plot) जमाबंदियों की संख्या
- रकबा/क्षेत्रफल रहित (Missing Area) जमाबंदियों की संख्या
- लगान रहित (Missing Lagaan) जमाबंदियों की संख्या

ऐसी जमाबंदियों की स्पष्ट मुद्रित प्रतियां निकाल कर मौजावार सूची सहित राजस्व कर्मचारी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रत्येक बंडल पर मौजा, हल्का, जमाबंदियों की संख्या अंकित रहेगा।

2. माइक्रो-प्लानिंग एवं समय-सारणी :-

प्रत्येक हल्का के कार्यभार एवं लंबित मामलों की संख्या के आधार पर अंचलाधिकारी तीन दिनों में अभियान की विस्तृत समय-सारणी तैयार करेंगे। अत्यधिक लंबित मामलों वाले हल्कों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त/द्वितीय संपर्क अभियान भी आयोजित किया जा सकता है।

माइक्रो-प्लान में कम-से-कम निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से शामिल होंगे:

- हल्का एवं मौजा का नाम
- संपर्क अभियान की तिथि एवं स्थान
- संबंधित राजस्व कर्मचारी/अन्य कर्मियों की तैनाती
- स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि (Local Elected Representative) के साथ बैठक की तय तिथि, जिसमें सभी राजस्व कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे
- मापी की आवश्यकता तथा तदनुसार अमीनों की संख्या का आकलन

तैयार माइक्रो-प्लान को विभागीय पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाएगा, ताकि रैयतों को अपने क्षेत्र में अभियान की तिथि, स्थल एवं कर्मचारी की पूर्व जानकारी मिल सके।

3. स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय एवं प्रचार-प्रसार :-

अंचल अधिकारी मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षद एवं अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अभियान के उद्देश्य, कार्यप्रक्रिया एवं क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम से अवगत कराएँगे।

जनप्रतिनिधियों का सहयोग रैयतों से संपर्क, मृत जमाबंदी रैयतों एवं उनके उत्तराधिकारियों की पहचान, उपलब्ध अभिलेखों की जानकारी तथा स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार में लिया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाएगा कि अभियान के अंतर्गत विभागीय जाँच एवं आवश्यक मापी के लिए रैयत को नया आवेदन देने अथवा मापी शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है। जनप्रतिनिधियों से प्राप्त सूचना का नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा।

4. अभिलेखीय जाँच, मापी एवं प्लॉट इंडेक्स की आवश्यकता का पूर्व आकलन :-

राजस्व कर्मचारी आवंटित जमाबंदियों की प्रारंभिक जाँच कर निम्नवत् विवरण तैयार करेंगे:-

- (क) मूल जमाबंदी पंजी की स्कैन प्रति से मिलान कर सुधार योग्य जमाबंदियों की संख्या,
- (ख) खतियान, प्लॉट इंडेक्स अथवा अन्य अभिलेख की आवश्यकता वाली जमाबंदियों की संख्या,
- (ग) स्थलीय सत्यापन अथवा मापी अपेक्षित जमाबंदियों की संख्या, तथा

(घ) उत्तराधिकार नामांतरण, विवाद की जाँच आदि कार्रवाई अपेक्षित मामलों की संख्या।

एक ही जमाबंदी में एक से अधिक प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित होने पर उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। अंचल अधिकारी इस आकलन के आधार पर अभिलेखों की उपलब्धता एवं अमीनों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।

5. जमाबंदी सुधार के आधार एवं अभिलेखों का सत्यापन :-

प्रकरण की प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों का परीक्षण कर सुधार का आधार निर्धारित किया जाएगा:-

- (क) पंजी-॥ की स्कैन प्रति,
- (ख) संबंधित सर्वेक्षण का खतियान एवं नक्शा,
- (ग) प्लॉट इंडेक्स एवं अन्य संबंधित राजस्व अभिलेख,
- (घ) पूर्व दाखिल खारिज आदेश, शुद्धि पत्र एवं संबंधित वाद-अभिलेख,
- (ङ) निबंधित दस्तावेज तथा उसके आधार पर पारित सक्षम आदेश,
- (च) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बंदोबस्ती, पट्टा, आवंटन अथवा हस्तांतरण आदेश,
- (छ) अधिकृत अमीन का मापी प्रतिवेदन एवं स्थल-जाँच प्रतिवेदन,
- (ज) सक्षम न्यायालय अथवा राजस्व प्राधिकार का प्रभावी आदेश, तथा
- (झ) प्रकरण से संबंधित अन्य प्रामाणिक अभिलेख।

डिजिटाइज्ड जमाबंदी का मिलान मूल जमाबंदी पंजी की स्कैन प्रति से ही किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए अभिलेखागार में रक्षित मूल पंजी का उपयोग नहीं किया जाएगा।

उक्त सूची के सभी अभिलेख प्रत्येक मामले में अनिवार्य नहीं होंगे। संबंधित सुधार के लिए आवश्यक एवं सुसंगत अभिलेख ही लिए जाएंगे। विभागीय कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों को संबंधित कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा, उन्हें पुनः प्रस्तुत करने का अनावश्यक भार रैयत पर नहीं डाला जाएगा।

अभिलेखों में विरोधाभास होने पर उसका परीक्षण कर सक्षम स्तर से विधिसम्मत निर्णय लिया जाएगा।

6. ऑनलाइन सुधार से पूर्व मुद्रित प्रति पर सुधार प्रस्ताव अंकित करना :-

राजस्व कर्मचारी संबंधित जमाबंदी की मुद्रित प्रति पर प्रत्येक प्रस्तावित सुधार स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे। इसके साथ वर्तमान ऑनलाइन प्रविष्टि, संबंधित अभिलेख में उपलब्ध प्रविष्टि, प्रस्तावित शुद्ध प्रविष्टि तथा सुधार के आधार का विवरण तैयार किया जाएगा।

आधार अभिलेख का नाम, वाद/दस्तावेज संख्या, तिथि एवं संबंधित पृष्ठ, जहाँ उपलब्ध हो, अंकित किया जाएगा। राजस्व कर्मचारी अपने दिनांकित हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित जाँच एवं सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति/आदेश के उपरांत ही ऑनलाइन सुधार किया जाएगा। यह अंकन कार्य हेतु निकाली गई मुद्रित प्रति पर किया जाएगा। अभिलेखागार में रक्षित मूल पंजी अथवा उसकी स्कैन छवि में अनाधिकृत काट-छाँट नहीं की जाएगी।

7. संबंधित लंबित आवेदनों का साथ-साथ निष्पादन :-

प्रत्येक मौजे के लिए तैयार बंडल के साथ उसी जमाबंदी से संबंधित राजस्व महाभियान, परिमार्जन प्लस तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त लंबित आवेदनों एवं संलग्न दस्तावेजों को आवेदन संख्या सहित संबद्ध किया जाएगा।

राजस्व कर्मचारी एवं संबंधित पदाधिकारी इन आवेदनों का परीक्षण जमाबंदी सुधार के साथ-साथ करेंगे, ताकि एक ही विषय की बार-बार जाँच से बचते हुए वास्तविक शिकायत का समाधान हो सके। सुधार के फलस्वरूप जिस आवेदन का विषय पूर्णतः निष्पादित हो जाए, उसमें आदेश एवं सुधार का संदर्भ अंकित कर संबंधित पोर्टल में विधिवत निष्पादन दर्ज किया जाएगा।

किसी आवेदन के आंशिक विषय का ही समाधान होने पर उसे पूर्णतः निष्पादित नहीं दिखाया जाएगा। शेष विषय पर अपेक्षित कार्रवाई स्पष्ट की जाएगी। एक जमाबंदी से संबंधित अनेक आवेदनों के निष्पादन की स्थिति में जमाबंदियों और आवेदनों की संख्या पृथक-पृथक दर्शायी जाएगी।

8. सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर अवैध रूप से कायम जमाबंदियों के संबंध में कार्रवाई :-

जाँच के क्रम में गैरमज़रूआ आम, गैरमज़रूआ खास, खासमहाल, सरकार में निहित बकाशत भूमि, भू-हदबंदी के अंतर्गत अर्जित अधिशेष भूमि, कैसर-ए-हिन्द, सैरात अथवा अन्य सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर किसी व्यक्ति के नाम जमाबंदी कायम रहने का मामला प्रकाश में आने पर भूमि की विधिक प्रकृति एवं जमाबंदी सृजन के आधार की जाँच की जाएगी।

संबंधित खतियान, सरकारी भूमि पंजी, रैयतीकरण/अर्जन अभिलेख, बंदोबस्ती अथवा पट्टा आदेश, पूर्व राजस्व आदेश एवं न्यायालयीय आदेशों का परीक्षण किया जाएगा। केवल भूमि की श्रेणी अथवा बकाशत प्रविष्टि देखकर जमाबंदी को स्वतः अवैध नहीं माना जाएगा। वैध बंदोबस्ती, पट्टा अथवा अन्य विधिमान्य अधिकार के दावे का समुचित परीक्षण आवश्यक होगा।

जहाँ जाँच से प्रथम दृष्टया जमाबंदी का सृजन विधि अथवा लागू कार्यपालक निर्देशों के प्रतिकूल पाया जाए, वहाँ अंचल अधिकारी स्पष्ट तथ्यों एवं साक्ष्यों सहित प्रस्ताव अपर समाहर्ता को उपलब्ध कराएँगे। बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 9 तथा संबंधित नियमों के अंतर्गत संबंधित पक्षों को स्पष्ट आधारयुक्त सूचना, अभिलेख एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का उचित अवसर देते हुए जमाबंदी रद्दीकरण की विधिगत कार्रवाई की जाएगी।

ऐसी जमाबंदियों को सामान्य ऑनलाइन सुधार की प्रक्रिया से सीधे विलोपित नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकार के प्रभावी आदेश एवं लागू न्यायालयीय निर्देशों के अनुरूप ही अभिलेख अद्यतन किया जाएगा।

9. लक्षित जमाबंदियों के सुधार संबंधी प्रक्रिया :-

9.1 खाता रहित जमाबंदियों में सुधार :-

- मूल जमाबंदी पंजी के स्कैन प्रति में अंकित खाता के आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी में खाता की प्रविष्टि की जाएगी।

- यदि मूल जमाबंदी के स्कैन प्रति में खाता अंकित नहीं है और जमाबंदी खतियान के आधार पर दर्ज की गई है, तो खतियान के आधार पर खाता प्रविष्टि किया जाएगा।

- यदि जमाबंदी दाखिल-खारिज के बाद कायम हुई है और मूल पंजी में खाता दर्ज नहीं है, तो दाखिल-खारिज वाद पंजी या अन्य संबंधित अभिलेख से खाता प्रविष्टि किया जाएगा।

• यदि दोनों अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं, तो संबंधित रैयत से संपर्क कर हित अर्जन के साक्ष्य के आधार पर विवरण भरा जाएगा।

विशेष स्थिति :-

जिन मौजों में म्यूनिसिपल सर्वे के आधार पर जमाबंदी कायम है और म्यूनिसिपल सर्वे खतियान में खाता नहीं है, अथवा अंचलाधिकारी द्वारा भूलवश बिना खाता संख्या के दाखिल-खारिज निष्पादित कर दी गई है — ऐसी जमाबंदियों में सुधार की आवश्यकता नहीं है। इन्हें लक्षित सूची के अभियुक्ति कॉलम में सुधार सम्भव नहीं है, का कारण अंकित करना होगा। भूलवश बिना खाता के निष्पादित दाखिल-खारिज वाली जमाबंदियों के सुधार हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे। अंचलाधिकारी इन्हें चिह्नित कर लेंगे।

9.2 खेसरा/प्लॉट रहित जमाबंदियों में सुधार :-

• मूल जमाबंदी पंजी के स्कैन प्रति में अंकित खेसरा के आधार पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी।

• यदि मूल पंजी के स्कैन प्रति में खेसरा नहीं है, कोई रकबा खारिज नहीं हुआ है और जमाबंदी खतियान पर आधारित है, तो खतियान के आधार पर खेसरा प्रविष्टि किया जाएगा।

• दाखिल-खारिज के बाद कायम जमाबंदी में यदि खेसरा दर्ज नहीं है, तो दाखिल-खारिज अभिलेख से मिलान कर प्रविष्टि की जाएगी।

• अभिलेख उपलब्ध न होने पर रैयत से संपर्क कर हित अर्जन के संबंध में साक्ष्य के आधार पर विवरण भरा जाएगा।

• यदि रकबा खारिज हो चुका है परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि किस खेसरा का रकबा खारिज हुआ, तो रैयत से संपर्क, भौतिक सत्यापन और आवश्यकतानुसार मापी कर खेसरा चढ़ाया जाएगा।

9.3 रकबा/क्षेत्रफल रहित जमाबंदियों में सुधार :-

• मूल जमाबंदी पंजी में अंकित खेसरावार रकबा के आधार पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी।

• मूल पंजी/खतियान/दाखिल-खारिज अभिलेख से मिलान कर खेसरावार रकबा भरा जाएगा।

• अभिलेख उपलब्ध न होने पर रैयत से संपर्क कर विवरण भरा जाएगा।

• रकबा खारिज होने पर भी खेसरा स्पष्ट न होने की स्थिति में भौतिक सत्यापन/मापी कर रकबा चढ़ाया जाएगा।

• यदि किसी खेसरा का पूर्ण रकबा खारिज हो चुका है, तो उस खेसरा में रकबा अंकित नहीं किया जाएगा। ऐसी जमाबंदी को अभियुक्ति में "सुधार की आवश्यकता नहीं" अंकित किया जाएगा।

• ध्यान दें: कभी-कभी केवल आंशिक रकबा खारिज कर दिया जाता है और मूल रकबा अपडेट नहीं किया जाता। ऐसी जमाबंदियों की भी पहचान कर सही रकबा अंकित किया जाएगा।

9.4 लगान रहित जमाबंदियों में सुधार :-

- अंतिम लगान का विवरण मूल जमाबंदी में अंकित अंतिम लगान के आधार पर भरा जाएगा।
- सावधानी रखें कि जिन जमाबंदियों का लगान निर्धारण नहीं हुआ है (बेलगान, बकास्त, टोपो/असर्वेक्षित भूमि आदि), उनमें लगान प्रविष्टि न हो जाए।

9.5 लक्षित सूची से बाहर रखी गई जमाबंदियाँ :-

- जिन जमाबंदियों के सभी खेसरो का रकबा खारिज हो चुका है और कुल रकबा शून्य हो गया है, उनमें सुधार की आवश्यकता नहीं है। इन्हें लक्षित सूची से बाहर रखा गया है।
- यदि किसी जमाबंदी में भूलवश शून्य मान वाला Row (खाता, खेसरा, रकबा सभी शून्य) इन्सर्ट हो गया है, तो उसमें सुधार नहीं किया जाएगा। ऐसी त्रुटि विभाग स्तर से सुधारी जाएगी।
- यदि शून्य मान वाले Row के साथ ट्रांजेक्शन ट्रेल उपलब्ध है, तो उसे सही मानते हुए अभियुक्ति में "सुधार की आवश्यकता नहीं" अंकित किया जाएगा।

10. डिजिटल प्रोसेसिंग :-

10.1 RoR Mode for Parimarjan :-

- प्राप्त आवेदन एवं साक्ष्यों की अभिलेखीय/स्थलीय जाँच के बाद राजस्व कर्मचारी RoR Mode में आवश्यक सुधार का ड्राफ्ट तैयार कर अंचलाधिकारी के लॉगिन में अग्रसारित करेंगे।
- आवेदन निष्पादन की विस्तृत प्रक्रिया विभागीय पत्रांक-1426(9) दिनांक-05.06.2024, पत्रांक-2153(9) दिनांक-08.08.2024, पत्रांक-168(9) दिनांक-20.01.2025 तथा पत्रांक-597(9A) दिनांक-01.03.2025 में दी गई है।
- अंचलाधिकारी उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर ड्राफ्ट का परीक्षण कर अनुमोदन/आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
- जिन जमाबंदियों में सुधार संभव नहीं है (जैसे पूर्ण रकबा खारिज हो चुका हो या गलत खाता/खेसरा एंट्री हो), उनकी मौजावार सूची रखी जाएगी ताकि भविष्य में अनावश्यक मेहनत न करनी पड़े।

10.2 Succession / Partition Mutation :-

- मृत जमाबंदी रैयत का नामांतरण उनके वंशजों/उत्तराधिकारियों के नाम पर विभागीय पत्र संख्या-1716(9) दिनांक-03.07.2026 के निदेशों के अनुसार किया जाएगा।
- वंशावली सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत किया जायेगा (ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के पत्रांक-16184, दिनांक-27.12.2023 एवं शहरी क्षेत्र में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-545(8), दिनांक-24.12.2025)।
- पहले मृत रैयतों की पहचान कर उनकी जमाबंदी सही की जाए, उसके बाद ही वंशजों के नाम दाखिल-खारिज की कार्रवाई की जाए। अंचलाधिकारी मौजावार लक्ष्य तैयार कर उसी के अनुसार कार्य करेंगे।

11. स्थलीय सत्यापन एवं भू-मापी (निःशुल्क) :-

जिन मामलों में रकबा, सीमा, खेसरा आदि के संबंध में स्थलीय सत्यापन/भू-मापी आवश्यक हो, वहाँ राजस्व कर्मचारी/अंचल अमीन/विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा निर्धारित समय-सारणी के अनुसार मापी कराई जाएगी।

मापी/सत्यापन के निष्कर्ष के आधार पर सुधार प्राथमिकता से पूर्ण किए जाएंगे। इस अभियान के दौरान अंचल कार्यालय द्वारा की जाने वाली मापी पूर्णतः निःशुल्क होगी तथा eMapi पोर्टल के Govt Order / Court Order मेनू के अंतर्गत अंचल अधिकारी के लॉगिन से स्वतः की जाएगी तथा आवेदक से अलग आवेदन नहीं लिया जायेगा।

12. पूर्व लंबित मामलों की पुनः समीक्षा :-

राजस्व महाअभियान, परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस के दौरान प्राप्त ऐसे मामलों की सूची तैयार की जाएगी जिनमें:

- आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे,
- रैयत से अतिरिक्त साक्ष्य अपेक्षित था,
- स्थलीय सत्यापन आवश्यक था, अथवा
- भू-मापी अपेक्षित थी।

ऐसे मामलों में आवश्यक साक्ष्य प्राप्त कर अथवा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पुनः कार्रवाई की जाएगी। त्रुटिपूर्ण निष्पादित राजस्व महाअभियान आवेदनों को पुनः सही निष्पादन हेतु अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी को वापस कर सकते हैं। ये आवेदन "राजस्व महाअभियान 2.0" मेनू में दिखाई देंगे। अंचलाधिकारी इनमें ड्राफ्ट पुनः बनाकर कर्मचारी को रिपोर्ट करने हेतु वापस भेज सकते हैं।

13. महत्वपूर्ण सावधानियाँ :-

- ऑनलाइन जमाबंदी में खाता, खेसरा एवं रकबा भरते समय मूल जमाबंदी पंजी/अभिलेखों से समुचित मिलान अवश्य करें तथा ऑनलाइन दाखिल-खारिज से खारिज हुई रकबा को ध्यान में रखें।

- किसी भी परिस्थिति में केवल लक्षित सूची पूरा करने के उद्देश्य से बिना मिलान किए प्रविष्टि नहीं की जाएगी। पूरी तरह स्पष्ट होने के बाद ही सुधार किया जाएगा।

- इस अभियान के दौरान जमाबंदी में दर्ज नाम में किसी भी प्रकार का बदलाव मूल जमाबंदी पंजी के अनुरूप ही किया जाएगा। अन्य सुधार साक्ष्य, अभिलेख, मापी प्रतिवेदन के आधार पर किया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निर्देशों से सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को तत्काल अवगत कराते हुए उनका अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाए। साथ ही, अभियान की सतत मॉनिटरिंग द्वारा अभिलेखीय शुद्धता एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक उपाय किया जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)
सचिव

ज्ञापांक-09/दा0खा0(मास्टर परिपत्र)-XII-81/2025-2725(9)/रा0, पटना-15, दिनांक-30.09.2026
प्रतिलिपि:- सभी अपर समाहर्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता/सभी अंचल
अधिकारी/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव। 30/9/26

ज्ञापांक-09/दा0खा0(मास्टर परिपत्र)-XII-81/2025-2725(9)/रा0, पटना-15, दिनांक-30.09.2026
प्रतिलिपि:- विभागीय आई0टी0 कोषांग को बिहार भूमि पोर्टल पर कार्य योजना एवं प्रगति
की प्रविष्टि तथा संबंधित तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव। 30/9/26

ज्ञापांक-09/दा0खा0(मास्टर परिपत्र)-XII-81/2025-2725(9)/रा0, पटना-15, दिनांक-30.09.2026
प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि
सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव। 30/9/26